## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 18/2017

बजरंगलाल पुत्र श्री मांगूराम जाति मीणा निवासी ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू
—— अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनू जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट्

——

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.09.2016 बअदालत तहसीलदार झुंझुनू उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कैलाश मु.न. 172/2015 अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थित :—

1. श्री अमित शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट की ओर से।

## आदेश

दिनांक 29.01.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है :— अपीलान्ट ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.85 हेक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 118/3/2) में अतिचारी नहीं है, बल्कि पट्टाधारी है एवं उसका विधिक कब्जा है। ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 233 को राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 5/12/राज./4/78/27 के अनुसार जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश कमांक 4534—55 दिनांक 24.10.1989 द्वारा आबादी भूमि विस्तार किया गया था। यह आदेश धारा 92 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार किया गया था। इस आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को वर्तमान खसरा नम्बर 233 में भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 56/91 जारी किया गया था, जिस पर विधिवत रूप से पट्टा प्राप्त कर अपीलान्ट काबिज है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में कार्यवाही अतिचारी के विरुद्ध की जा सकती है परन्तु पट्टाधारी के विरुद्ध नहीं की जा सकती। (2006(1) डी.एन.जे.(राज) 164)। न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू माननीय न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय है एवं तहसीलदार झुंझुनू द्वारा जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 18.021983 को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट विधिवत भूखण्ड पर विधिनिनूसार पट्टा प्राप्त कर गत 30 वर्षो से भी अधिक समय से

काबिज है तथा इस भूखण्ड के अतिरिक्त अपीलान्ट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है तथा यह भूमिहीन वर्ग से है। किसी भी प्रकार का बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखन का तथा उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधिनिस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रक्रिया के आधार पर गत 30 वर्षो से भी अधिक समय से बसे हुये अपीलान्ट वगैरह क परिवारों को बेदखल करने का आदेश कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.09.2016 को अपास्त किया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान नजीर [illegible] डी.एन.जे. 164 हुकम सिहं बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान तथा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 23.01.2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.85 हैक्टर (गत खसरा नम्बर 118/3/2) में अतिक्रमी नहीं है, बल्कि पट्टाधारी है एवं उसका विधिक कब्जा है। ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 233 का राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या [illegible]/12/राज./ 4/78/27 के अनुसार जिला कलेक्टर झुंझुनू के आदेश कमांक 4534–55 दिनांक 24.10.1989 द्वारा आबादी भूमि विस्तार किया गया था। इस आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को वर्तमान खसरा नम्बर 233 में भूखण्ड का पट्टा कमांक [illegible]/85 जारी किया गया था, जिस पर विधिक रूप से पट्टा प्राप्त कर अपीलार्थी काबिज है। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते है, प्रस्तुत नजीर में इसका साफ अंकन है कि पट्टेधारी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण विवादित आराजी पर नहीं किया है। अपीलार्थी का 30 वर्षो से भी अधिक समय से मौके पर काबिज है तथा अपीलार्थी भूमिहीन वर्ग से है। अदालत मातहत ने प्रकरण में सभी तथ्यों की जांच किये बगैर निराधार आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत आदेश दिनांक 26.09.2016 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि गैर मुमकीन चारागाह की भूमि है, जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। अपीलान्ट द्वारा जिस पट्टे की भूमि पर अपना कब्जा बताया है, वह भूमि उक्त भूमि के न होकर अन्यत्र भूमि के है तथा उक्त पट्टो पर स्थान तथा दिशाओं का भी अंकन नहीं है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 23.01.2020 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को विधिक प्र[illegible] के निर्देश दिये गये है। अदालत मातहत ने पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर [illegible] किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की [illegible] मातहत द्वारा सभी दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही [illegible] या है। अपीलान्टस् की अपील खारिज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:32:45 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है यथा :–

1. पत्रावली परीक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ है कि तथाकथित पट्टा 10गज X 15गज अर्थात 250 वर्गगज का बताया है, जबकि अतिक्रमित भूमि का रकबा 400 वर्गमीटर है। जिसकी बाबत अपीलार्थी ने कोई तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
2. अपील में अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर काबिज है तथा 30 वर्षो से वह विवादित आराजी पर आबाद है। इस तर्क के समर्थन में अपीलार्थी ने नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिहं बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की, जिसके अनुसार The powers under Section 91 of the Act of 1956 can be exercised only against the trespassers. The petitioners being in possession of the land in dispute in view of the pattas issued by the Gram Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. अपीलार्थी को जारी पट्टा जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश कमांक एफ2(3)राज/83 दिनांक 18 फरवरी 1983 की पालना में दिया गया है। उक्त आदेश में आबादी हेतु आवंटित भूमि की किस्म जोहड़ दर्ज है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में अतिक्रमण की गई भूमि को आबादी हेतु आवंटित की गई भूमि से अलग माना है। जिससे हम सहमत है क्योंकि आवंटन की गई भूमि जोहड़ थी तथा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। इससे यह तथ्य तो साफ है कि अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की भूमि अलग है तथा वर्तमान में किये गये अतिक्रमण कि भूमि अलग है। अपीलार्थी ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, जिसका वर्तमान में आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्कों की परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत मय निर्णय इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 23.01.2020 के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुंझुनूं 29/01/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:32:45 IST
Reason: SelfAttested